न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर--ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :-- श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :-- 109 / 2024

उनवान

1. नेहा बगई पत्नि अंकित बगई जाति पंजाबी निवासी बगई निवासी बगई विला एस--19, भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. फ्लेट के पीछे सी--स्कीम, जयपुर

--प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
समस्त जाति अहीर निवासी घासीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
2. बाबूलाल पुत्र घासी
3. बिरदी देवी पत्नि देवी सहाय गुर्जर
4. भंवरा पुत्री घासी
5. बंशीधर पुत्र मुरली
6. बनारसी देवी पुत्री मुरली
जाति गुर्जर निवासी चतरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
7. ग्राम पंचायत पीपलोद नारायण तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
8. कृष्णा यादव पत्नि बनवारी लाल यादव निवासी गुर्जर घाटी, आमेर रोड त्रिपोलिया बाजार, जयपुर शहर
9. प्रियंका यादव पत्नि जितेन्द्र कुमार यादव निवासी मकान नं. 41 कॉलोनी भगवती नगर सी आर्यन पब्लिक एकेडमी के पास निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर शहर

--अप्रार्थीगण

10. धीर स्टील मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड पता--चतरपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

--तरतीबी अप्रार्थी

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

<u>प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956</u>

निर्णय दिनांक: 08/01/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 न0 587 / 213 रकबा 2.3438 है0 एवं आ0ख0न0 213 / 613 रकबा 1.1500 है0 वाके ग्राम चतरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी हाल ख0 न0 587 / 213 रकबा 2.3438 है0 एवं आ0ख0न0 213 / 613 रकबा 1.1500 है0 वाकै ग्राम चतरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक / सीमाज्ञान / 2024 / 28 दिनांक 27.05.2024 की पालना में दिनांक 20.06.2024 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला--जयपुर (राज.)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है जो बावजूद तामील व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थी के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल ख0 न0 587/213 रकबा 2.3438 है0 एवं आ0ख0न0 213/613 रकबा 1.1500 है0 वाकै ग्राम चतरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/25 को सरे इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण